न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी हॅसमुख कुमार (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या–25 / 2023

अनवान

1. गजेन्द्रसिह पुत्र श्री सोहनसिह
2. पदमसिंह पुत्र श्री सोहनसिह
3. राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री सोहनसिह
4. वचनसिंह पुत्र श्री सोहनसिह
5. रूकमणी कंवर पुत्री श्री सोहनसिह
6. श्रीमती सुखादेवी पत्नी श्री सोहनसिंह

सभी जातियान राजपुरोहित निवासीगण–सालावास पुरोहितान, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. कल्याणसिंह पुत्र श्री आसुसिंह
2. देवीसिह पुत्र श्री आसुसिंह
3. बाबूसिंह पुत्र श्री आसुसिंह
4. बालूसिह पुत्र श्री आसुसिंह

सभी जातियान राजपुरोहित, निवासीगण सालावास पुरोहितान, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1– प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भानू प्रकाश

2– अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक 05-6-26

1. प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या एक से चार की पुश्तैनी कृषि भूमि वाके ग्राम सालावास पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा नं0 118 रकबा 0.4371 हैक्टर (2 बीघा 7 बिस्वा) बारानी प्रथम है जो वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2077 से 2080 के खेवट खतौनी संख्या नई 25 पुरानी 127 में स्पष्ट है। प्रार्थीगण के दादा आसुराम पुत्र श्री पूनमचन्द जी राजपुरोहित के नाम से खातेदारी में इन्द्राज थी जो आसुरामजी के फौत पश्चात प्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थी संख्या एक से चार व श्रीमती चांदनी देवी पत्नी श्री आसुरामजी के नाम खातेदारी में इन्द्राज हुई। पूर्व में प्रार्थीगण के दादाजी द्वारा मौखिक बंटवाडा किया जा चुका था, जो कमशः कल्याणसिंह, चांदनीदेवी, देवीसिह, बाबूसिंह, बालूसिह के 1/6, 1/6 हिस्सा व प्रार्थीगण गजेन्द्रसिह, पदमसिंह, राजेन्द्रसिंह, वचनसिंह, रूकमणीकंवर व सुखादेवी के नाम 1/36, 1/36 हिस्सा दर्ज है। चांदनी देवी का स्वर्गवास हो चुका है। विवादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वजों की पुश्तैनी कृषि भूमि वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम से इन्द्राज है। अप्रार्थीगण को पारिवारिक मौखिक बटवाडानुसार बंटवाडा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवाने हेतु तहसील कार्यालय में चलने कहने पर अप्रार्थीगण द्वारा आनाकानी कर जानबूझकर उक्त बंटवाडा नही करवाना एवं भूमि बैचान करने पर आमादा है, इसलिए प्रार्थीगण के पास अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थनापत्र पेश करने के अलावा कोई दूसरा सहारा नही है
2. प्रार्थना पत्र दिनांक 18.10.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करते हुए अन्तरिम निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक इस अमल की जारी की जाती है कि ग्राम सालावास पुरोहितान के खसरा नं0 118 रकबा 0.4371 हैक्टर (2 बीघा 7 बिस्वा) बारानी प्रथम विवादग्रस्तं भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे।
3. अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये दावे का अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

4. हमने प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया जिसके बाद धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की तीनों आवश्यक बिन्दुओं का निम्न प्रकार प्रार्थना पत्र की विवेचना निर्धारण किया जाता है–

- **प्रथम दृष्टया मामला** :– राजस्व रिकार्ड जमाबंदी 2077–2080 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी में अंकित अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ग्राम सालावास पुरोहितान के खसरा नंबर 118 रकबा 0.4371 हैक्टेयर भूमि के सहखातेदार है। सहखातेदार होने से उभयपक्षकारान के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला बनता है। एक सहखातेदार के विरूद्ध दूसरे सहखातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नही है। अतः प्रथमदृष्टया मामला उभयपक्षकारान के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।
- **अपूरणीय क्षतिः**– चूकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण जमाबंदी अनुसार रिकार्डेड सहखातेदार दर्ज है। उभयपक्षकारान को अपूरणीय क्षति की संभावना बनती है। यदि एक पक्ष को अस्थायी निषेधाज्ञा अनुमत की जाती है तो अन्य सहखातेदार को अपूरणीय क्षति की संभावना है। अतः उक्त बिन्दु भी उभयपक्षकारान के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।
- **सुविधा का संतुलनः**– प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड सहखातेदार है एवं सहखातेदार होने से सुविधा का संतुलन बिन्दु संख्या 1 के अनुसार केवल मात्र प्रार्थी के पक्ष में नहीं कहा जा सकता है।

–:आदेशः–

उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ग्राम सालावास पुरोहित खसरा नंबर 118 बविरूद्ध अप्रार्थीगण उभयपक्षकारान सहखातेदार होने से परिपोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर दिनांक 05-6-26 को हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर, लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी